न्यायालय विशेष न्यायाधीश 'पॉक्सो एक्ट'/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–20, कानपुर नगर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2149/2026
CNR No–UPKN010063822026

1. गणेश शंकर पुत्र स्वर्गीय राम शंकर उम्र 64 वर्ष लगभग निवासी ग्राम माधोपुर कठेरूआ थाना बिधनू कानपुर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

.....विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–73/2026
धारा–103(1), 238(2), 3(5)बी०एन०एस०
थाना–बिधनू, जिला–कानपुर नगर।

25.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त गणेश शंकर की ओर से उपरोक्त मुकदमे में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त की पुत्री कु० प्रीती की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक एफ.आई.आर. के अनुसार इस प्रकार है कि,"प्रार्थी सुरेन्द्र पासवान पुत्र स्व० शिवराम निवासी कठेरुआ कालोनी थाना बिधनू कानपुर (नगर) का मूल निवासी है। दि 16/3/26 को प्राथी की बेटी लक्ष्मी उम्र 11 वर्ष जो कि कक्षा 5 की छात्रा है। जो समय करीब 3 बजे बकरी चराने गई थी बकरिया घर आ गई लक्ष्मी नही आई तबसे आस पास छानवीन की कोई जानकारी नही मिली हुलिया इस प्रकार है। लक्ष्मी की उम्र 11 वर्ष कद लम्बा चेहरा लम्वा लाल टी सर्ट नीला लोवर हाफ पहने है पैर चप्पलें पहने हुये है प्रार्थी भाग कर सूचना देने आया है अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि बेटी की गुमशुदगी दर्ज करने कृपा करें।"

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी एक गरीब मजदूर किस्म का बुजुर्ग व्यक्ति है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है ना ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। अभियुक्त का अपराध में कोई रोल नहीं है न ही अभियुक्त के विरुद्ध कोई सीधा साक्ष्य है। अभियुक्त को केवल शक के आधार पर घटना में नामित कर दिया गया है। अभियुक्त 64 वर्ष का व्यक्ति है तथा अपने समाज में सम्माननीय व्यक्ति है। अभियुक्त घटना के दिन बाहर था थोड़ा सा मन–मुटाव वादी मुकदमा के परिवार से था इसी शक के आधार पर उसको मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बना दिया गया है। अभियुक्तगण शनी, कमल व आशीष ने पुलिस हिरासत में डर से बयान दिये हैं। उक्त बयान वास्तविक नहीं है। पुलिस ने स्वयं बनाकर लिखे हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा यदि जमानत प्रदान की जाती है तो उपरोक्त प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं केरगा और न्यायालय के आदेशों का सदैव पालन करेगा और प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होता रहेगा तथा साक्ष्य को प्रभावित या उससे

छेड़खानी और दुरुपयोग नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उक्त अपराधिक कारित किया गया है जिसके पर्याप्त साक्ष्य है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पाने पर जमानत शर्तों का उल्लंघन करेगा तथा पुनः अपराध कारित करेगा। तदनुसार जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा संपूर्ण केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने एवं केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों व पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ समान आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा की पुत्री की हत्या करने व हत्या कर साक्ष्य छिपाने का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा सुरेन्द्र पासवान की लिखित तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाना बिधनू कानपुर नगर में दिनांक 17.03.2026 को अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की कार्यवाही प्रचलित की गयी व दौरान विवेचना अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अत्यंत गम्भीर प्रकृति के हैं व प्रकरण में आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण में अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या सक्रिय संलिप्तता आदि तथ्यों को देखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई और अधिक टिप्पणी किये बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त गणेश शंकर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2149/2026 निरस्त किया जाता है।

(पवन कुमार राय)
विशेष न्यायाधीश 'पॉक्सो एक्ट'/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–20
कानपुर नगर।

Digitally signed by Pawan Kumar Rai
Date: 2026.06.25 16:50:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court